GP-21
24/6/13

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.________ of 2013.

Usha Sinha ....Petitioner

Versus

The State of Bihar through Principal
Secretary and others.....................Respondents.

Subject:- Death cum Retirement benefit
Health Department

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	Pages.
1.	Synopsis.	i to ii
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 9
3.	Annexure-1: A true copy of Death Certificate	10
4.	Annexure-2: A true copy of order dated 20.6.1998.	11 – 17
5.	Annexure-3: A true copy of Marriage Card.	18
6.	Annexure-4: A true copy of representation dated 15.3.2013.	19
7.	Vakalatnama of the petitioner.	

-/o/-

THE HIGH COURT OF JUDECATURE AT PATNA

(Civil Write Judecature)

C.W.J.C.0 No......................of 2013

Usha Sinha..Petitioner

Versus

The State of Bihar through principal secretary and others

....Respondants

SYNOPSIS

This is an application for direction to the respondents to make payment of reular family pension , arrear of family pension.

Para-3 Petitioner's husband Manoranjan Prasad Sinha at civil surgeon office, Madhepura.

2010:- Petitioner's husband retired.

Pate-4 Bhawan construction Department, Khagaria.

28.11.2011:- Petitioner's husband died.

Pate-5, Annx-1

Para-9:- During life time of the petitioner's husband, the

petitioner was ousted from the house due to illeegt relationship with another lady.

Para-10:- Petitioner filed maintenance case No. 18/1993 before C.J.M., Purnea for maintenance.

Annexure-2:- Court below directed the petitioner's husband to
para-11 pay Rs. 250/- per month.

Page-11:- Petitioner is legally married wife of deceased employee, hence she is entitled for family pension.

Page-12:- Petitioner requested the authority for payment of family pension.

15.3.2013 Petitioner filed representation for family pension but
Annex-4 no response.
Para-14

In,

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No.......................of 2013

In the matter of an application under article 226 of the constitution of India

AND

In the matter of

Usha Sinha wife of Late Manoranjan Prasad Sinha, resident of Mohalla- Gangjala, Kunwar Tola, Ward No. 17, P.S. & Distt- Saharsa at present residing at village- Banmankhi, Ward No. 15, P.O.- Banmankhi, Distt- Purnea....................................Petitioner

Versus

1. The state of Bihar through Principal Secretary, Health Department, Govt. of Bihar, Patna.

2. The Director , Health Department, Govt of Bihar, Patna.

3. The Civil surgeon cum Chief Medical office, Madhepura.

4. Accountant general, bihar, Patna.......................Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Rekha M. Doshit The Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her comaninon Justice s of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

Most respectfully Sheweth:-

(1) That this is an applciation for istance of an appropriate in the nature of mandanues direction to the respondents to make payment of Death cum retirement benefit i.e. regular family pension and arrer of famly pension to the petitioner and any other appropriate writ, order direction save and except in accordance with law.

(2) That the petitioner is the citizen of India and lives within teritorial jurisdiction of this Hon'ble court.

(3) That the petitioner's husband namely manoranjan Prasad Sinha was posted as Non Medical Assistant at the office of civil surgeon cum Chief Medical officer, Madhepura.

(4) That petitioner's husband retired in the year 2010 psted as Non Mdical Assistant at Civil Surgeon cum Chief Madical Officer, Madhepura.

(5) That petitioner's husband died on 28.11.2011 in harness.

A true copy of death certificate is annexed as annexure-1 to this application.

(6) That petitioner's husband left behind his wife (petitioner) and one daugher namely Chandni Kumari @ Rashmi Ranjan Sinha.

(7) That after death of her husband the petitioner is entitled for getting family pension.

(8) That it is submitted that the petitioner was got mariage with Manoranjan Kumar Sinha, the deceased employee on 7.6.1991

and after the marriage the petitioner gave birth of one female child namely Chandni Kumari @ Rashmi Ranjan Sinha.

(9) That the petitioner's husband had illegit relationship with his bhabhi and the petitioner opposed his husbnad, then his husband ousted from teh house and stopped he maintenance.

(10) That the petitioner filed maintenane case no. 18/1993 before learned Cheif Judicial Magistrate, Purnea under provision of 125 Cr.P.C. for mantenance.

(11) That learned court below vide order dated 20.6.1998 directed the petitioner's husband to pay Rs. 250/- as maintenance per month to his wife (petitioner).

A true copy of order dated 20.6.1998 as annexed as annexure-2 to this aplication.

(12) That the petiioner is the legally married wife of deceased employee manoranjan Kumar Sinha, hence petitioner is entitled for getting family pension.

(13) That the petitioenr requested the respondent authority in written for payment of family pension but no step has been taken.

(14) That the petitioner has performed the marriage of her daughter namely Chandni Kumari @ Rashmi Ranjan Sinha on 5.12.2012.

A true copy of marriege card is annexed as annexure-3 to this application.

(15) That the petitioner filed several representations to respondent authority lastly on 15.3.2013 requesting for payment of family pension nothing done.

A true copy of representation dated 15.3.2013 is annexed as annexure-4 to this application.

(16) That the petitioner is an old lady and she has no source of any income and due to latches of respondent authority the petitioner is moving pillar to post.

(17) That the action of respondent authority is arbiterary, malafide monest.

(18) That the petitioner has no any other alternative and eficacious

remedy other than by way of this application.

(19) That the petitioner has not moved earlier before Hon'ble High Corut for the reliefs an prayed in para-1 to this application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application is the Rule NISI, callign upon the respondents and of the hearing the parties be pleased to allow this application and grant reliefs as prayed in prayed 14 para-1 to this application and/or pass such other order or orders as yoru Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

Affidavit

I, Usha Sinha, aged about 55 years, wife of Late Manoranjan Prasad Sinha, resident of Mohalla- Gangjala, Kunwar Tola, Ward No. 17, P.S. & Distt- Saharsa at present residing at village- Banmankhi, Ward No. 15, P.O.- Banmankhi, Distt- Purnea, do hereby solemnly affirma nd state as follows:-

(1) That I am petitioner in this writ application and as such I am acquainted with the facts and circumstances of the case.

(2) That statement made in para. no.1 to 19 are true to my knowledge and belief.

(3) That the contents this application have been read over and explained the me in Hindi which I understood and found true to my knowledge and instruction.

(4) That the annexures are true copies of their respective originals.

उषा सिन्हा

Deponent

Annexure-1

10

13-प्रपत्र संख्या 6:

बिहार सरकार

A 579279

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

मृत्यु प्रमाण-पत्र

... मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 एवं बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 8 के अंतर्गत निर्गत ।

... प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है, जो बिहार राज्य ... जिले के ... तहसील (अंचल/प्रखंड) सहरसा ... नगरपरिषद (स्थानीय क्षेत्र) सम्बन्धी रजिस्टर में है।

सहरसा

नाम: स्व० मनोरंजन प्रसाद सिन्हा — लिंग: पुरुष

मृत्यु की तारीख: 28/11/11 — मृत्यु का स्थान: वार्ड-17 गंगजला कुँवर

पति/पिता का नाम: स्व० विश्वनाथ प्रसाद — स्थायी पता: टोला सहरसा

रजिस्ट्रीकरण संख्या: 106.

रजिस्ट्रीकरण की तारीख: 21/04/12

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार
जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन
नगर परिषद, सहरसा
मुहर

21/4/12

दिनांक..............

Annex-21

11

जिला-पूर्णियाँ।

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पूर्णियाँ।

उपस्थित :- श्री अशोक कुमार सिंह, न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, पूर्णियाँ।

पूर्णियाँ दिनांक 20 जून 1998 ई0।

भरण-पोषण वाद सं0:- 18/93

विचारण सं0:- 137/98

उषा सिन्हा, पति मनोरंजन ~~मिस्र~~ प्रसाद सिन्हा ---------------------आवेदिका।

बनाम

मनोरंजन प्रसाद सिन्हा---विपक्षी।

आरोप अन्तर्गत धारा 125 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत।

अधिवक्ता आवेदिका की ओर से:- श्री ....अधिवक्ता।

अधिवक्ता विपक्षी की ओर से :- श्री ....अधिवक्ता।

आ दे श

1. आवेदिका उषा सिन्हा द्वारा दिनांक 12.3.93 को अपने पति मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के विरूद्ध स्वंय को प्रताड़ित कर भगा देने की स्थिति में द0 प्र0 सं0 की धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त आवेदन के आलोक में सुनवाई के पश्चात विद्वान मुख्य न्या0 दण्डा0 द्वारा विपक्षी पर नोटिस निर्गत करने का आदेश देते हुए अभिलेख को श्री चन्द्रेश कुमार न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। उक्त आवेदन के नोटिस पर उपस्थित होकर विपक्षी द्वारा दिनांक 29.4.94 को प्रतिउतर दाखिल किया गया। उभय पक्ष के साक्ष्य प्रकरण बन्द होने तथा उनके सुनने के पश्चात यह अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका की उपस्थिति दी गई है।

2. आवेदिका अपने आवेदन दिनांक 12.3.93 में कही है कि उसकी शादी हिन्दू रिति रिवाज के साथ दिनांक 7.6.91 को विपक्षी के साथ इसकी मां मो0 गिरजा देवी के मकान पर हुई। विवाहोपरान्त आवेदिका अपने पति के साथ रहने हेतु अपनी ससुराल गई तथा कुछ वर्षों तक शान्तिपूर्वक अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत की। इस दौरान दोनों से चाँदनी नामक एक पुत्री पैदा हुई। विपक्षी अपनी भाभी के साथ प्रेम करता था। इस कारण उसने आवेदिका को उपेक्षित करना शुरू किया और आवेदिका दिनांक 27.9.91 को अपने ...

भी कर सकती है। उसकेxसमxअनुरोधxप्रमाणxxxxxसेxइसका अग्रकथन यह भी है कि इसके रिश्ते रिश्तेदारों द्वारा अनेको मामले कई जिले में गलत रूप से दाखिल कराया गया है। जिसके लिये विपक्षी के पास अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। यहाँ तक की 12 वर्षीय पुत्री चाँदनी भी आवेदिका के साथ उसके आचरण को जानते हुए रहना नही चाहती है। कई कारणों से विपक्षी का आवेदिका के साथ रहना मुश्किल है और स्वंय आवेदिका सरःस्वती शीशु मन्दिर, बनमनखी में इस मामले के पूर्व से नौकरी करती है । तथा लगभग 7 सौ रूपया प्रतिमाह वेतन प्राप्त करती है। जिससे वह अपना भरण-पोषण करने में स्वंय सक्षम है। इसप्रकार, जरूरत पड़ने पर विपक्षी अपना अतिरिक्त प्रतिउत्तर दाखिल कर सकता है। अतः विपक्षी का प्रतिउत्तर स्वीकार करते हुए आवेदिका का आवेदन दिनांक 12.3.93 को अस्वीकृत करने की कृपा प्रदान की जायें।

5. उभय पक्ष को सुनने के पश्चात आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । जिसके आलोक में आवेदिका ने आवेदिका साक्षी -1 नन्द लाल यादव, आवेदिका साक्षी -2 धनराज्य यादव, आवेदिका साक्षी -3 देवेन्द्र नाथ सिन्हाँ, आवेदिका साक्षी -4 अरूण कुमार और आवेदिका साक्षी -5 उषा सिन्हा{आवेदिका} को प्रस्तुत कर न्यायालय में परीक्षीत कराई है। जबकि विपक्षी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनेकों अवसर प्रदान किए गये, किन्तु विपक्षी न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही अपनी तरफ से किसी साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षीत कराया । ऐसी परिस्थिति में दिनांक 20.12.96 को विपक्षी का साक्ष्य प्रक्रम बन्द कर अभिलेख बहस हेतु निश्चीत किया गया । अपने साक्ष्य प्रकरण को पुनः प्रारम्भ करने हेतु एक आवेदन पत्र दाखिल किया गया । जिसे न्याय हित में न्यायालय द्वारा दिनांक 28.2.97 को अस्वीकृत किया गया । उक्त आदेशके आलोक में विपक्षी माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पुनःरीक्षण वाद सं0:-120/97 दाखिल किया, जिसे माननीय सत्र न्यायालय द्वारा भी दिनांक 3.2.98 को अस्वीकृत करते हुए इस मामले को शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

6. आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 12.3.93 और विपक्षी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 29.9.94 से मुख्य विचारणीय प्रश्न उद्भूत हुआ कि क्या आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 12.3.93 विधिक रूप से पोषनीय है तथा क्या विपक्षी अपने व्यवहार से आवेदिका को भरण-पोषण देने हेतु सक्षम रहते हुए उत्तरदायी है?

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण को सुना । अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध सभी मौखिक तथा प्रलेखनीय साक्ष्यों का अवलोकन किया । विपक्षी के

औरत है और ऐसी परिस्थिति में भी स्त्री भरण-पोषण पाने के अधिकारिणी नहीं है। इस संबंध में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिक निर्णयन 1993 सी0 आर0 एल0 जे0 पृष्ठ 918 और 1984 सी0 आर0 एल0 पृष्ठ 1012 को विशेष रूप से चर्चा की गई है, जिसका अवलोकन मैंने किया। अतः वे आवेदिका के आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

8. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के द्वारा दाखिल किये गये प्रतिउत्तर दिनांक 29.9.94 के कंडिका -5 में अंकित तथ्य ही प्रमाणित करता है कि उभय पक्ष के बीच विधिक रूप से विवाह हुआ था जो एक स्वीकृत तथ्य है। साथ ही विपक्षी की ओर से अपने इस "कथन के समर्थन में कि" आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में समर्थ है तथा वह स्वयं विपक्षी को त्यागी है"। का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उसने उसको प्रमाणित किया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी साक्षियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आवेदिका की शादी विपक्षी के साथ दिनांक 7.6.81 को बनमनखी में सम्पन्न हुई थी। यहाँ तक की विपक्षी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है और उनके द्वारा इस संबंध में दाखिल किये गये पुनरीक्षण वाद माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अस्वीकृत भी किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किये है कि स्वयं आवेदिका साक्षी सं0-2 धनराज्य यादव का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है और आवेदिका से परे हटकर अपने भाभी से अवैध संबंध बनाकर रखना भी आवेदिका के अलग रहने का मुख्य कारण है। किसी अन्य से प्रेम करना कानूनी दृष्टि से अलग रहने का मुख्य आधार नहीं बनता है, परन्तु पत्नी को दूसरे से किये गये प्रेम के आधार पर उपेक्षित एवं प्रताड़ित किया जाना मुख्य आधार बनता है। ऐसा तथ्य स्वयं आवेदिका ने अपने मूल आवेदन को कंडिका -3, 4, 5, 8, 9, 10 में अंकित की है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उचित रूप में न तो उसे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त था और न ही विपक्षी उसका भरण-पोषण करता था। इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता माननीय न्यायालयों द्वारा निर्णीत विधिक निर्णयन क्रमशः पी0 एल0 जे0 आर0:-1997 पार्ट-1 पृष्ठ -295 और 1984 बी0बी0सी0 जे0-पृष्ठ सं0:-213 को विशेष रूप से चर्चा किये है तथा कथन किये है कि आवेदिका के द्वारा परीक्षित कराये गये, सभी साक्षियों ने आवेदिका के तथ्यों का पूर्ण रूप से समर्थन किये हैं। अतः आवेदिका अपने आवेदन मे दिये गये 500 रूपया प्रतिमाह की दर से आवेदिका के आवेदन के दिनांक से ही भरण -पोषण भत्ता पाने की अधिकारणी है। अतः उसे उक्त भत्ता दिलाने की कृपा की जायें।

9. उपरोक्त कथनों के आलोक से अभिलेख परिशीलन से मैं पाता हूँ कि इस मामले का मुख्य आधार अभियोजन साक्षी-5 उषा सिन्हा (आवेदिका) है जो अपने

2/19
23-1-13   23-1-13   (21)   24   24/1/13

1012 के तथ्य इस मामले के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न है जिसका लाभ पाने का हकदार विपक्षी नही है। तदनुसार, उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ~~आवेदिका~~ आवेदिका का आवेदन अन्तर्गत धारा 125 द0 प्र0 सं0 विधिक ~~रूप~~ रूप से पोषनीय है और आवेदिका भरण-पोषण भत्ता पाने की अधिकारणी है। साथ ही साथ विपक्षी द्वारा आवेदिका को भरण-पोषण भत्ता देने का ~~xxxxxx~~ उतरदायित्व पाता हूँ। 9.

भी विपक्षी स्नातक है तथा अभिलेख पर लगभग पांच हजार रुपये वेतन पाने की जानकारी मिलती है।

10. उपरोक्त तथ्य के आधार पर अभिलेख के गहन पूर्वक परिशीलन के पश्चात विपक्षी मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को आदेशित किया जाता है कि आज दिनांक 20.6.98 से (आदेश की तिथि से) 250 रूपया प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण भत्ता के रूप में आवेदिका उषा सिन्हा को अदा करें।

(लेखापित)

अशोक कुमार सिंह 20/6/98
न्याय0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, पूर्णि

(लेखापित संशोधित हस्ताक्षरित व खुले न्यायालय में मेरे द्वारा उद्घोषित)

20/6/98
न्याय0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, पूर्णियाँ।

Authentication fee Rs. 25/-
Head Comparing Clerk

COMPARED BY
COMPARING CLERK
24/1/13

Certified to be true Copy
Record Keeper
Judgeship ...
24/1/13

> [illegible] तुम्हें बुलाते हैं ।
> है मानस के राजहंस, तु भूल न जाना आने को ।।

वैवाहिक कार्यक्रम

दिनांक : 04.12.2012
(मंगलवार)
घृतढारी, सत्यनारायण पुजा

दिनांक : 05.12.2012
(बुधवार)
शुभविवाह

विवाह स्थल : विवाह भवन (शंकर मंदिर), सहरसा

कम्प्यूटराईज्ड प्रिंटिंग – बिमला, पुस्तक भंडार, सहरसा

मान्यवर,

माँ भगवती की असीम कृपा से ......

आयुष्मती रश्मि रंजन सिन्हा
सुपुत्री : स्व० मनोरंजन प्रसाद सिन्हा
ग्राम + पो० - गोढ़ बरसाहा
मधेपुरा (बिहार)

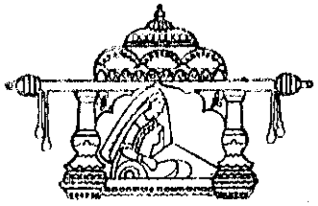

आयुष्मान् नीरज कुमार सिन्हा
सुपुत्र : श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा
मधेपुरा (बिहार)

के

पाणिग्रहण संस्कार

की मांगलिक वेला में सपरिवार अपनी महिमामय उपस्थिति एवं स्नेहिल शुभाशीष से नव-युगल को अभिसिंचित कर हमें कृतार्थ करें।

दर्शनाभिलाषी :
समस्त सिन्हा परिवार।

आकांक्षी :
उषा सिन्हा
कुँवर टोला, गंगजला
सहरसा

Annex-4 Annexure-4 19

सेवा में,

एकाउन्टेन्ट जेनरल, बिहार, पटना

विषय:- पेंशन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे पति स्व० मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जन मेडिकल असिस्टेंट मधेपुरा में कार्यरत थे। सेवा निवृति के उपरांत उनकी मृत्यु दिनांक 28.11.2011 को हो गया। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए मेरा नाम नोमनी में नहीं दिया गया। मैं उनका एकमात्र और जायज विधवा हूँ। पत्नी के रूप में कोई प्रकार मुझे भरण-पोषण की राशि भी प्राप्त हुई है। वर्तमान समय में मेरी आर्थिक स्थिति काफी सोचनीय है। उम्र अधिक होने के कारण मैं बिमार रहती हूँ, जिसका इलाज आर्थिक अभाव में नहीं हो पाता है।

अत: श्रीमान से सादर अनुरोध है कि स्व० मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के विधवा के रूप में मेरे नाम से नया पी०पी०ओ० नम्बर मधेपुरा ट्रेजरी तथा बैंक में जारी कर मुझे पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की कृपा कीजाए। मैं स्व० मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की जायज विधवा हूँ इसकी पुष्टि हेतु कोर्ट का दस्तावेज, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, पुत्री के मेट्रिक पास सर्टिफिकेट का छाया प्रति तथा पुत्री की शादी के कार्ड का छाया प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजिका
उषा सिन्हा
ग्राम- कदमारवीवार्ड नं 15
पो०- कदमाटी
जिला - पूर्णिया

दिनांक - 15 3 2013

मुख्य परीक्षण के दौरान कण्डिका-1 में स्पष्ट रूप से कही है कि विपक्षी के साथ इसकी शादी 1981 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी तथा कण्डिका -2 में कथन की है कि यह ससुराल गयी इसको एक बच्ची हुई जिसका नाम चांदनी है तथा इसके पति का संबंध अपनी भाभी से हो गया। जिससे वे इसे प्रताड़ित करने लगे। कण्डिका -4 में इसका साक्ष्य है कि इसके बच्ची को छिनते हुए, इसके पति पुनः प्रताड़ित कर घर से निकाल दिये और कण्डिका -6 में स्वीकार की है कि इसके पति स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा सहायक है। जो लगभग 5000/-रूपया प्रतिमाह वेतन पाते है और इसके मायके वाले इसका भरण-पोषण नही कर सकते है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि इस साक्षी का भी प्रतिपरीक्षण विपक्षी द्वारा नही किया गया है। आवेदिका साक्षी -1 नन्द लाल यादव, आवेदिका साक्षी सं0-2 धनराज्य यादव, आवेदिका साक्षी सं0-3 देवेन्द्र नाथ सिन्हा और आवेदिका साक्षी सं0-4 अरूण कुमार भी अपने -अपने मुख्य परीक्षण के दौरान आवेदिका तथा उसके द्वारा बताये गये आवेदन पत्र के तथ्यों का भी समर्थन किये है। जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आवेदिका उषा सिन्हा की शादी हिन्दू रिति -रिवाज से विपक्षी मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के साथ वर्ष 1981 में सम्पन्न हुई थी। अभिलेख परिशीलन मैं यह पाता हूँ कि अपने प्रतिउतर में अंकित किये गये आवेदिका के स्वेच्छा से अलग रहने और स्वंय भरण-पोषण कर सकने में समर्थ होने के बिन्दू पर कोई भी साक्ष्य न्यायालय में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी द्वारा अपने भाभी के साथ अवैध संबंध के कारण आवेदिका को प्रताड़ित कर उसका उचित रूप से भरण-पोषण न करना ही प्रमाणित होता है। आवेदिका के तरफ से दाखिल विधिक निर्णयन 1997 पार्ट-1 पृष्ठ 295 के गहन पूर्ण परिशीलन से मैं पाता हूँ कि उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि द0 प्र0 सं0 की धारा 125 के अन्तर्गत जब पति और पत्नी का विवाह विवादित न हो तो पति का दूसरे के साथ अवैध संबंध के आधार पर पत्नी का भरण-पोषण के लिये पति उत्तरदायी है। साथ ही साथ दूसरे विधिक निर्णयन बी0बी0सी0जे0-1984 पृष्ठ-213 के अवलोकन से भी मैं पाता हूँ कि उस मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ पर पत्नी अपना किसी प्रकार भरण-पोषण कर सकने में असमर्थ है तथा साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है, वैसी परिस्थिति में इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार पति पर चला जाता है। इसप्रकार, उपरोक्त विधिक निर्णयन का आदर करते हुए मैं पाता हूँ कि इस मामले के तथ्य भी उसी प्रकार है जो आवेदिका के दिये गये आवेदन के आलोक में उचित बैठता है। विपक्षी द्वारा दाखिल किये गये विधिक निर्णयन 1984 सी0 आर0 एल0 जे0

18

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में आवेदिका स्वतः विपक्षी को त्याग कर गई और और वह अपना भरण-पोषण कर सकने में स्वंय समक्ष है। अतः वह भरण-पोषण प्राप्त करने की उतराधिकारणी नही है। क्योंकि द0 प्र0 सं0 की धारा 125 के स्पष्ट रूप से प्राविधानित करती है कि-------

21

1

"1. यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन रहते हुए,

{ए0} साधनहीन पत्नी {स्वंय भरण -पोषण में कर सकने योग्य { या,

{बी}

{बी0} अपने वैध या अवैध अल्पवयस्क बच्चे विवाहित या अविवाहित (स्वंय द्वारा असमर्थ या भरण-पोषण कर सकने में असमर्थ) का,

{सी0} अपने वैध या अवैध बच्चे {विवाहित पुत्री नही} जो व्यस्क होते हुए भी भौतिक या मानसिक रूप से सक्षम नही है तथा भरण-पोषण कर सकने में असमर्थ है या

{डी0} अपने पिता और माता जो स्वंय द्वारा भरण-पोषण कर सकने असमर्थ हो।

कि उपेक्षा करता है यों भरण-पोषण से इन्कार करता है तो प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रथम वर्ग के दण्डाधिकारी प्रतिमाह 500रूपया की दर से उसकी पत्नी, बच्चे, पिता या माता को भरण-पोषण के रूप में अदा करने का समय -समय पर जैसा उचित समझे आदेश देगा।" अतः न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना है कि क्या विपक्षी ने अपने पत्नी को उपेक्षा किया है या क्या अपने पत्नी को भरण-पोषण से इन्कार किया है तथा क्या आवेदिका अपना भरण-पोषण कर सकने असमर्थ है। उन्होने न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया है कि आवेदिका ने अपने पूरे आवेदन में कहीं नही अंकित किया है कि विपक्षी उसके भरण-पोषण कर सकने में असफल रहा है तथा वह स्वंय अपने भरण-पोषण कर सकने में असमर्थ है। आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र के कण्डिका -3 में ~~xxxxxxx~~... Misbehaved शब्द का प्रयोग किया है जिसका शाब्दिक अर्थ मुर्खता पूर्ण व्यवहार करना होता है तथा भाभी के साथ प्रेम करना कोई आधार पत्नी के अलग रहने का नही बनता है। जहाँ तक विपक्षी के द्वारा परिवार में साथ रहने के आधार पर आतुरता नही होता है और आतुरता का लगातार होना आवश्यक है। ऐसी परिस्थित में आवेदिका स्वतः विपक्षी को त्याग कर गई है जो एक चरित्रहीन औरत है तथा वह भरण-पोषण पाने को अधिकारनी नही है। इस आलोक में भरण-पोषण का आवेदन खारिज होने योग्य है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि दिनांक 15.1.97 के आदेश से ही स्पष्ट होता है कि वह औरत Deserted

12

16

और नाही उसकी देखभाल करता था।
भेजता था। अन्ततः, आवेदिका ने सन 1984 में भरण-पोषण वाद सं0:-1/84 दाखिल किया था। जिसमें विपक्षी उपस्थित होकर प्रतिउत्तर भी दाखिल किया था। किन्तु आपसी बात-चीत एवं सद्भाव के आधार पर वह मामला सुलह कर लिया गया और आवेदिका उसमें अपना पैरवी बन्द कर दी थी जिसके आधार पर वह मामला दिनांक 9.3.89 को खारिज कर दिया गया था।

3. उक्त समझौता के आधार पर पुनः आवेदिका अपने पति के साथ अपनी ससुराल में बच्ची को लेकर गई और विपक्षी उसे कुछ दिनों तक इन्हें अच्छी प्रकार से रखते हुए फिर अपनी पुरानी आदतें शुरू कर दिया तथा आवेदिका को अपेक्षित करने लगा। आवेदिका द्वारा विरोध करने पर विपक्षी ने उसे मारा-पिटा जिससे आवेदिका का जीना दुर्लभ हो गया और मार्च 1991 में विपक्षी आवेदिका से पुत्री चाँदनी छिन कर रख लिया तथा आवेदिका को अपने घर से खदेड़ दिया। यहाँ तक को अपनी बच्ची से मिलने जुलने भी नही दिया जाता था। इसप्रकार मार्च 1991 से विपक्षी आवेदिका को उपेक्षित करता रहा। साथ ही साथ वह न तो उसका भरण-पोषण किया और न ही आवेदिका का ध्यान रखा। इसप्रकार उपरोक्त परिस्थित में आवेदिका का वहाँ रहना उचित नही था, जबकि आवेदिका को माँ इसका भरण-पोषण कर सकने में ~~असमर्थ~~ असमर्थ है तथा इसका भाई अपने बच्चों और परिवार के साथ किशनगंज में रहता है। ~~आवेदिका~~ आवेदन पत्र के ~~निर्~~ कण्डिका -11 में आवेदिका का कथन है कि विपक्षी चिकित्सा सहायक है तथा उसकी वेतन 3000/- रुपये प्रतिमाह है और वह आवेदिका को मेनटेन करने के लिये पर्याप्त साधन रखता है। इसप्रकार आवेदिका ~~ने~~ यह पुनः नया मामला को संस्थित करते हुए विपक्षी से 500 रुपया प्रति माह की दर से भरण-पोषण भत्ता दिलाने हेतु आवेदन करती है। ~~जिसे दिलाने की कृपा की जायें।~~

4. दूसरी तरफ विपक्षी मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने स्वयं द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 29.9.94 में कथन किया है कि आवेदिका का भरण-पोषण हेतु दाखिल ~~आवेदिका~~ आवेदन दिनांक 12.3.93 न्यायिक दृष्टी से पोषनीय नही है। क्योंकि, उक्त आवेदन में अंकित सभी ~~विषय~~ तथ्य, आवेदिका द्वारा गलत तथ्यों पर आधारित, विरचित और फरेब से भरा हुआ है। यहाँ तक की स्वंय आवेदिका तेज तर्रार और चालू औरत है, जिसके साथ विपक्षी नही रह सकता है। आवेदिका किसी भी समय किसी के विरुद्ध कुछ भी कर सकती है। इसके इस अनुचित व्यवहार से उसके मेल में आकर, पुलिस, अन्य पदाधिकारी या असामाजिक तत्व विपक्षी के विरुद्ध